NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No. 273 / NCRES / 2019 दिनांक 14.10.2019

श्रीमान प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषयः– कर्मचारी हित निधि के तहत वर्ष 2018–19 में वैगन मरम्मत कारखाना / झॉसी को होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक सहित चिकित्सा की देशी पद्धति मद मे वितरित अनुदान राशि में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वैगन मरम्मत कारखाना, झॉसी में कर्मचारी हित निधि के अन्तर्गत होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा हेतु पूर्णकालिक डाक्टर नियुक्त किये गये है जिसका लाभ सुचारू रूप से रेल कर्मचारियों को मिल रहा हैं। कार्यरत डाक्टरों का मासिक वेतन रू0 35,500 / – प्रति डाक्टर है।

अवगत कराना है कि वैगन मरम्मत कारखाना, झॉसी में होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा हेतु वर्ष 2018–19 में रू0 36 प्रति कैपिटा के आधार पर अनुदान राशि मात्र रू0 2,60,352 / – (दो लाख साठ हजार तीन सौ बावन मात्र) ही दिया गया है जो कि उपरोक्त मद हेतु बहुत ही कम है जबकि होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में डाक्टरों का वार्षिक मानदेय कुल रू0 8,52,000 / – है व होम्योपैथिक दवाओं के खरीद में प्रतितवर्ष लगभग रू0 60,000 / – एवं आयुर्वेदिक दवाओं के खरीद में लगभग रू0 1,44,000 / – का खर्च आता हैं ।

यह भी अवगत कराना है कि चिकित्सकों के मासिक वेतन व दवाओं के खरीद में लगभग 10,56,000 / – रू (दस लाख छप्पन हजार मात्र) वार्षिक खर्च होता हैं किंतु वर्ष 2018–19 में अनुदान राशि मात्र 2,60,352 / –रू0 ही आवंटित किया गया हैं जिसके कारण इलाज ठीक ढ़ंग से नही हो रहा है और अनुदान राशि की कमी के कारण हो रही असुविधाओं से कर्मचारियों में गहरा असंतोष उत्पन्न हो रहा हैं।

अतः NCRES का अनुरोध है कि :–

(1) रेलवे बोर्ड के निर्देश को ध्यान मे रखते हुए होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा की देशी पद्धति को चालू रखने व सुचारू रूप से संचालन हेतु वर्ष 2018–19 में कम पड़ रहे अनुदान राशि 7,95,648 / –रू0 (सात लाख पंचानवे हजार छः सौ अड़तालिस मात्र) को अविलम्ब निर्गत करने का कष्ट करें।
(2) वर्ष 2019–20 और अगले वर्षो हेतु भी वास्तविक खर्च के अनुसार अनुदान राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे जिससे होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा का लाभ कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके परिवार को मुहैया होता रहे और असंतोस समाप्त हो सके।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री